रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 1973/फाल्गुन 24, 1894

No. 55] **NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1973/PHALGUNA 24, 1894**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 15th March 1973

SUBJECT.—*Transfer of imports/exports effected under Indo-Afghan Trade Agreements period* 1971-72.

No. 36-ITC(PN)/73.—Attention is invited to para 6 of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 25-ITC(PN)/73, dated 13th February, 1973, in terms of which the transfers under the said Public Notice were required to be completed upto 28th February, 1973.

2. On a review of the position, and in partial modification of para 6 of the aforesaid Public Notice, it has been decided to allow transfers upto 30th April, 1973. Failure to complete transfers by that date will render the defaulters liable to action under Import/Export Control and Foreign Exchange, orders, rules and regulations.

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1973

विषय.—भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था अवधि 1971–72 के अन्तर्गत प्रभावी किए गए आयातों/निर्यातों का हस्तांतरण।

संख्या : 36–आई० टी० सी० (पी०एन०)/73.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 25–आई०टी०सी० (पीएन)/73, दिनांक 13 फरवरी, 1973 की कंडिका 6 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस के अनुसार उक्त सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत हस्तांतरण, 28 फरवरी, 1973 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर और उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 6 में आंशिक संशोधन करने पर यह निश्चय किया गया है कि 30 अप्रैल, 1973 तक हस्तांतरणों की अनुमति दी जाए। उपर्युक्त तिथि तक हस्तांतरण पूर्ण करने में असफल होने पर चूक-कर्त्ताओं के विपरीत आयात / निर्यात नियंत्रण तथा विदेशी मुद्रा विनिमय, आदेशों, नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

एम० जी० बास मल्लिक,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973